एनएफएसए लाभार्थियों को अप्रेल एवं मई माह में दो बार मिलेगा निःशुल्क गेहूं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री

District : dipr
Department :
VIP Person : General
Press Release
State News
Attached Document :
LK-07-04-2020-4.docx (http://103.203.138.54/news/205751/document/LK-07-04-2020-4.docx)

DESCRIPTION

एनएफएसए लाभार्थियों को अप्रेल एवं मई माह में दो बार मिलेगा निःशुल्क गेहूं
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री

जयपुर, 7 अप्रेल। प्रदेश के अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल तथा अन्य श्रेणी के लाभार्थी जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित है, उन्हें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत भी अप्रेल एवं मई माह में निःशुल्क गेहूं का वितरण किया जायेगा। इस तरह प्रदेश के खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थीयों को अप्रेल एवं मई माह में दो बार निश्ुल्क गेहू प्राप्त हो सकेगा। प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आवंटित गेहूं का वितरण 15 अप्रेल के बाद में शुरू किया जायेगा।

खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री रमेश चन्द मीना ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित बीपीएल,स्टेट बीपीएल एवं द्वितीय श्रेणी पीएचएच को 5 किलोग्राम गेहूं प्रति व्यक्ति प्रति माह एवं अन्त्योदय परिवार को 35 किलोग्राम प्रति माह गेहूं निःशुल्क वितरण किया जाता है। इसी तरह कोविड-19 (कोरोना वायरस) के कारण भारत सरकार द्वारा घोषित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को श्रेणीवार उतना ही गेहू का अतिरिक्त वितरण किया जायेगा ।

अप्रेल एवं मई माह के गेहूं का किया आवंटन

खाद्य मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अप्रेल एवं मई माह के गेहूं का आवंटन कर दिया गया है जिसका उठाव भारत सरकार के निर्देशानुसार 30 अप्रेल से पहले शत-प्रतिशत करना होगा। उन्होंने बताया कि अप्रेल माह के गेहूं का वितरण 15 अप्रेल 2020 से प्रारम्भ किये जाने के संबंध में समस्त जिला रसद अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रदेश के एनएफएसए के लाभार्थियों को दो माह अप्रेल एवं मई के लिए 4 लाख 46 हजार 599 मै.टन गेहूं का आवंटन कर दिया गया है।